



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

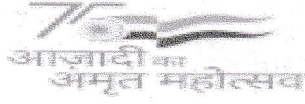
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्रदत्त / NAAC Accreditation 'A' Grade

डॉ. सुरेन्द्र पी. गादेवार

Dr. Surendra P. Gadewar

परीक्षा नियंत्रक

Controller of Examinations



दूरभाषक्र./Phone No.: 07152-242812

क्रमांक: 04/परी/उ.पु.पुनर्मूल्यांकन.(जून-जुलाई,2026)/36/4342
दिनांक: 17.08.2026

पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन भरने संबंधी सूचना

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/केंद्रों के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की अधिसूत्र परीक्षा (जून-जुलाई, 2026) के द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम एवं दशम सेमेस्टर के नियमित/पूरक तथा अंतिम सेमेस्टर के वे विद्यार्थी, जो प्रथम/तृतीय/पंचम/सप्तम एवं नवम सेमेस्टर के लिखित (पूरक) प्रश्न-पत्र में सम्मिलित हुए हैं, के लिए विश्वविद्यालय के अकादमिक अध्यादेश क्रमांक: EXA-4.24 (Re-evaluation) के अनुसरण में उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन आवेदन भरने की व्यवस्था निम्नानुसार की गई है:-

1. स्नातक कार्यक्रम के षष्ठ, अष्टम एवं दशम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम बी.एड.-एम.एड. (एकीकृत) के षष्ठ सेमेस्टर की उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी परीक्षा विभाग के विद्यार्थी पटल से आवेदन प्राप्त कर पूर्ण विवरण भरकर राशि @ रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) प्रति प्रश्न-पत्र (अधिकतम दो प्रश्न-पत्र) शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि 18.08.2026 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 27.08.2026 सायं: 06:00 बजे तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
2. स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु 'समर्थ पोर्टल' पर स्वयं की आईडी से Login कर राशि @ रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) प्रति प्रश्न-पत्र (अधिकतम दो प्रश्न-पत्र) शुल्क जमा कर ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन आवेदन प्रपत्र दिनांक 18.08.2026 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 27.08.2026 सायं: 06:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में सम्मिलित हुए विद्यार्थी, जो प्रथम/तृतीय/पंचम/सप्तम एवं नवम सेमेस्टर की लिखित (पूरक) प्रश्न-पत्रों का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं, वे विद्यार्थी तिथि 18.08.2026 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 27.08.2026 सायं: 06:00 बजे तक परीक्षा विभाग के विद्यार्थी पटल से आवेदन प्राप्त कर पूर्ण विवरण भरकर राशि @ रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) प्रति प्रश्न-पत्र (अधिकतम दो प्रश्न-पत्र) शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि में ऑफलाइन पुनर्मूल्यांकन आवेदन जमा कर सकते हैं।
4. निर्धारित तिथि के पश्चात पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
5. ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित तकनीकी समस्या के लिए परीक्षा विभाग दूरभाष क्रमांक: 07152-242812 पर कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं: 05:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

निरंतर.....2

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत

Post: Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), India

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्रदत्त / NAAC Accreditation 'A' Grade

डॉ. सुरेन्द्र पी. गादेवार

Dr. Surendra P. Gadewar

परीक्षा नियंत्रक

Controller of Examinations



दूरभाषक्र./Phone No.: 07152-242812

//2//

EXA – 4.24 Re-Evaluation of Answer Script:

1. Re-evaluation shall not be permitted in the case of Practical Examinations, viva voce, Project Report, Sessionals/Internal Assessment and Dissertation, as also the answer scripts of any Examination which have already been valued in full by Joint Examiners/Board of Examiners.
2. The merit list, declared in the results of the respective Examination shall not be prejudiced owing to re-evaluation of scripts.
3. If there be any change in the result of the Examination due to reevaluation of answer scripts, no examinee can complain in the Court of Law, nor any action can be initiated against the Examiner (s) concerned.
4. If the award of the Re-evaluator (second Examiner) varies from the original award upto and including $\pm 5\%$ of the maximum marks secured earlier, the original award shall stand.
5. If the award of the Re-evaluator varies from the original award upto and including $\pm 20\%$ of the maximum marks secured earlier, then the answer script shall be sent to the second re-evaluator (Third Examiner).
6. The average of the marks awarded by the Second and Third Examiners shall be final.
7. Applications for re-evaluation of answer scripts only for Term end Examination shall be accepted.
8. Answer scripts of those examinees who appeared for improvement of division or Percentage of Marks shall be final and shall not be subject to re-evaluation.

(डॉ. सुरेन्द्र पी. गादेवार)

17/08/2026

प्रति (ई-मेल के माध्यम से),

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/अकादमिक निदेशक/केंद्र प्रभारी
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय
6. कुलानुशासक कार्यालय
7. अकादमिक विभाग
8. प्रभारी, लीला- विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
9. संबंधित पत्रावली।

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत

Post: Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra), India

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org